न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी :आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 96/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
प्रकाश पुत्र श्री मंशाराम जी, जाति घांची निवासी सुमेरपुर तहसील सुमेरपुर जिला पाली		राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री मनीष राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

–: निर्णय :–

दिनांकः– 28.03.2019

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत जिला कलक्टर पाली द्वारा मुकदमा संख्या 41/2016 में पारित निर्णय दिनांक 15.03.2017 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार सुमेरपुर के समक्ष पटवारी हल्का कोलीवाडा द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट्स द्वारा ग्राम जाखोडा के खसरा नंबर 234 रकबा 0.03 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण किया है। इस रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए जैर अपील निर्णय पारित कर अपीलाण्ट को उक्त भूमि से बेदखली, जुर्माना, एवं तीन माह के सिविल कारावास के दंड से दंडित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा जिला कलक्टर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे जिला कलक्टर पाली द्वारा अपने निर्णय दिनांक 15.03.2017 द्वारा अस्वीकार कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय में जारी नोटिस न ही अपीलांट को मिला एवं न ही अपीलांट द्वारा तामिल किया गया। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये एकतरफा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

निर्णय पारित किया है। अपीलांट द्वारा जैर अपील रास्ते पर कभी भी अतिक्रमण नहीं किया है बल्कि अपनी स्वंय की खातेदारी खसरा संख्या 233/1 व 233 पर काबिज है, जो कि राष्टीय राजमार्ग आने से दो भागो में विभाजित हो गई है। उक्त भूमि के पास प्रभावशाली राजनैतिक परिवार के व्यक्ति रतनदेवी पत्नी पारसमल जैन व नारंगीदेवी पत्नी केसरीमल जाति जैन निवासी सुमेरपुर की खातेदारी है। उक्त व्यक्ति ने अपीलांट की भूमि को खरीदने की इच्छा जाहिर की थी किन्तु अपीलांट द्वारा मना करने पर उनके द्वारा राजनैतिक प्रभाव से शिकायत के जरिये उक्त अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये जैर अपील आदेश पारित किया है। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जावे एवं जैर अपील आदेश निरस्त फरमावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया ग्राम जाखोडा के खसरा नंबर 234 रकबा 0.03 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का द्वारा उपरोक्त सन्दर्भ में तहसीलदार सुमेरपुर के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपीलाण्ट के विरूद्ध कार्यवाही कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित होने के कारण अपीलाण्ट को उक्त भूमि से बेदखल करते हुए जुर्माना एवं सिविल कारावास की सजा से आरोपित किया गया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील खारिज करावें।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम जाखोडा के खसरा नंबर 234 रकबा 0.03 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन रास्ता की भूमि पर अपीलाण्ट्स द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर काश्त करने के कारण पटवारी हल्का कोलीवाडा द्वारा उपरोक्त सन्दर्भ में तहसीलदार सुमेरपुर के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपीलाण्ट के विरूद्ध कार्यवाही कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 26.08.2016 की तारीख पेशी नियत की। उक्त आदेश की पालना में जो नोटिस जारी किया गया, उक्त नोटिस अदम तामिल प्राप्त हुए। इसके पश्चात दिनांक 26.08.2016 को पुनः नोटिस जारी किये गये। जो अपीलांट के यहां हाजिर नहीं होने एवं खाने कमाने पूना जाने बाबत रिर्पोट प्राप्त हुई। उसके पश्चात दिनांक 06.09.2016 को बावजूद सूचना अनुपस्थित दर्शाते हुए जैर अपील निर्णय द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध आदेश बेदखली पारित करते हुए जुर्माना, सिविल कारावास आरोपित किया। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो नोटिस जारी किये गये उक्त नोटिस अदम तामिल प्राप्त हुए। जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 91 से संबधित कार्यवाही का कोई ज्ञान नहीं था। इस संबध में आर0आर0सी 1996 जगदीश बनाम सरकार एवं बिहारी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

लाल बनाम सरकार पेज नंबर 471 में यह प्रतिपादित किया है धारा 91 राज. भूराजस्व अधिनियम– निगरानीकर्ताओं को अतिक्रमी मानते हुए नोटिस दिया गया– प्रथम पेशी पर ही निगरानीकर्ता, हल्का पटवारी के बयान रेकार्ड कर वसूली आदेश व सिविल जेल की सजा सुनाई–निर्णीत किया गया कि– सिविल जेल भेजना एक दंड देना है– निगरानीकर्ताओ के सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरित है–दिशा निर्देश के साथ केस रिमांड किया गया–निगरानी स्वीकार। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष की गई 91 की कार्यवाही का अपीलांट का नोटिस स्वंय को तामिल नहीं हुआ जिससे अपीलांट का सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं हुआ। उक्त न्यायिक दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है। अधीनस्थ न्यायालय पारित जैर अपील निर्णय एकतरफा पारित किया गया है जो हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील आशिंक स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण संख्या 45/2016 में तहसीलदार सुमरेपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2016 तथा न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 41/2016 में पारित निर्णय दिनांक 15.03.2017 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर नये सिरे से विधिसम्मत निर्णय पारित करे। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पाली